

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक  
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सा. आ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 नवम्बर 2003—कार्तिक 10, शक 1925

उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी)  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक 806/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सन् 2000 का क्र. इक्कीस), जिसे एतस्मिन्पश्चात् “अधिनियम” कहा गया है, की धारा 90 सहपठित 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा अधिसूचित नागरिक सेवाओं के बारे में इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन चलाने के लिए; प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंटों की नियुक्ति, कृत्यों, विनियमन और देयताओं के उपबंध के लिए; एवं आनुषांगिक व संबंधित मामलों के उपबंध के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है ।

## 1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ

(1) इन नियमों को छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 19 अगस्त, 2003 से प्रवर्तित होंगे ।

## 2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) 'समुचित प्राधिकारी', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है किसी अधिसूचित नागरिक सेवा के संबंध में किसी राज्य विधि के अधीन ऐसी सेवा के संबंध में किसी मामले के बारे में निर्णय लेने हेतु भारसाधक प्राधिकारी;
- (ख) 'प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंट', जिसे एतस्मिन्पश्चात् 'चौइस एजेंट' कहा गया है, से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंट नियुक्त किया गया व्यक्ति;
- (ग) 'प्राधिकृत नागरिक सेवा केंद्र', जिसे एतस्मिन्पश्चात् 'चौइस केंद्र' कहा गया है, से अभिप्रेत है वह स्थान जहां से एक चौइस एजेंट द्वारा अधिसूचित नागरिक सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं; और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सीमा तक ऐसा चौइस केंद्र प्रधान कार्यालय का हिस्सा माना जाएगा;
- (घ) 'कलेक्टर' से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर;
- (ङ) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;
- (च) 'अधिसूचित नागरिक सेवा', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'अधिसूचित नागरिक सेवा' घोषित की गई सेवा, और इसके अंतर्गत आते हैं समुचित प्रधान कार्यालयों को प्रस्तुत करने को इच्छुक व्यक्तियों (जिन्हें एतस्मिन्पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) से आवेदन, याचिका, आदि (जिन्हें एतस्मिन्पश्चात् 'आवेदन' कहा गया है) प्राप्त करना, एवं / अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर, प्रभार, शोध राशियां, और कोई भी अन्य देय राशियां एकत्रित करना, और उनकी अभिलेखीकृतियां जारी करना; इलेक्ट्रॉनिक रूप में किन्हीं भी प्रमाण-पत्रों, दरतावेजों, अनुज्ञाओं आदि की, या प्रधान कार्यालय या उसके किसी कार्यालय या उसके अधीनस्थ कार्यालय की ओर से कार्य करने वाले कर्मचारी द्वारा प्रधान कार्यालय के विचार हेतु अथवा उससे प्राप्त अन्य किन्हीं भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं की, कागज पर छाप ऐसे आवेदकों को संप्रेषित करना; अथवा चौइस एजेंट को न्यस्त कोई भी अन्य कृत्य करना;
- (छ) 'प्रधान कार्यालय' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य शासन के स्वामित्व की या उसके नियंत्रणाधीन कोई भी कार्यालय, प्राधिकारी, निकाय या एजेंसी, अथवा स्थानीय शासन का कोई भी कार्यालय अथवा स्थापना;
- (ज) 'विहित प्रभार', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है किसी अधिसूचित नागरिक सेवा के संबंध में देय सम्यक् रूप से प्राधिकृत करों, प्रभारों, शोध राशियों, या अन्य किन्हीं भी राशियों, जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत, अथवा राज्य शासन या सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन, एकत्रित करने के लिए चौइस एजेंट प्राधिकृत है, तथा इसमें सेवा प्रभार सम्मिलित है;
- (झ) 'विहित कम्प्यूटर संसाधन', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है राज्य शासन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः या विशिष्टतः विहित कोई कम्प्यूटर संसाधन, तथा भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न कम्प्यूटर संसाधन विहित किए जा सकते हैं;
- (ञ) 'विहित रीति', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है राज्य शासन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः या विशिष्टतः विहित रीति, तथा इससे विहित कम्प्यूटर संसाधन में निर्मित या उसके द्वारा इंगित कोई भी कार्यविधि, अनुदेश, प्रक्रिया, आदि भी अभिप्रेत हैं; और

- (ट) सेवा प्रभार, उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, स अभिप्रेत है राज्य शासन या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप दी गई सेवा के एवज में चॉइस एजेंट को देय राशि।

### 3. सक्षम प्राधिकारी — नियुक्ति, शक्तियों का प्रत्यायोजन

- (1) राज्य शासन इन नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों को करने, तथा शक्तियों का प्रयोग करने, के लिए राज्य शासन के सचिव से अन्यून श्रेणी के व्यक्ति को नियुक्त करेगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उसमें वेष्टित किन्हीं भी शक्तियों और कृत्यों को किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

### 4. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य

सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा—

- (क) समुचित कम्प्यूटर संसाधनों के सृजन, उचित व सुरक्षित अभिरक्षा, अनुरक्षण, क्षेम और प्रचालन की रीति विहित करना, जिसके अंतर्गत आता है किसी प्राधिकारी अथवा एजेंसी को इन प्रयोजनों के लिए अभिशिक्त करना;
- (ख) समय-समय पर विहित कम्प्यूटर संसाधनों के उचित और सुरक्षित प्रकान के लिए, और एक सुरक्षित प्रणाली का स्थापना का प्रभाव करने के लिए, निर्देश जारी करना;
- (ग) उन प्रधान कार्यालयों को, जिनकी ओर से चॉइस एजेंट अधिसूचित नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत होगा, और वे सेवाएं जो चॉइस केन्द्रों के माफक दी जा सकेंगी, को सूचित करना;
- (घ) किसी व्यक्ति अथवा निकाय को चॉइस एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए इन नियमों में दी गई प्रक्रिया के अतिरिक्त प्रक्रिया विहित करना;
- (ङ) चॉइस केन्द्रों के काम करने के घंटों, स्थान, आदि का उपबंध करने के लिए, और साथ ही चॉइस एजेंट की किसी लापरवाही अथवा अनुबंध की शर्तों में व्यतिक्रम या भंग से उद्भूत किसी हानि या क्षति के विरुद्ध राज्य शासन व प्रधान कार्यालयों को क्षतिपूरित करने के लिए, ऐसे एजेंट द्वारा कलेक्टर के साथ निष्पादित किया जाने हेतु एक अनुबंध विहित करना; और ऐसे अनुबंध के जरिए प्रतिभूतियों, वीमाओं, बैंक गारंटियों, या अन्य किसी भी रीति में, ऐसे एजेंट द्वारा प्रधान कार्यालय की ओर से प्राप्त किसी धन की पर्याप्त प्रतिभूति भी सुनिश्चित करना;
- (च) चॉइस केन्द्रों को अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम अधोसंरचना विहित करना;
- (छ) चॉइस एजेंट द्वारा चॉइस केन्द्र का कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया विहित करना;
- (ज) समय-समय पर चॉइस एजेंट की नियुक्ति के संबंध में, अथवा अन्य ऐसे मामलों के संबंध में जिन्हें वह किसी अधिसूचित नागरिक सेवा के प्रभावी और कुशल उपबंध अथवा चॉइस केन्द्र के प्रभावी कार्य के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, निर्देश जारी करना;

### 5. अधिसूचित नागरिक सेवा

सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक सूचना के जरिए ऐसी किसी भी सेवा अथवा सेवाओं की श्रेणी, जो अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) के उपबंधों से संबंधित सेवा न हो, को इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित नागरिक सेवा घोषित कर सकेगा।

### 6. चॉइस एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता

- (1) चॉइस एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह प्रत्येक व्यक्ति कम से कम उच्चतर माध्यमिक शाला-त्यागी प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होगा, कम्प्यूटरों का बुनियादी ज्ञान रखने वाला होगा, और प्रतिभूओं, बीमाओं, बैंक गारंटियों, या अन्य किसी भी तरीके से, कलेक्टर की संतुष्टि अनुरूप पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम होगा।
- (2) कोई व्यक्ति चॉइस एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जा चुका हो।
- (3) इस नियम के उप-नियम (1), अथवा इन नियमों के नियम 7, में अंतर्विष्ट कोई भी बात प्रधान कार्यालय द्वारा प्राधिकृत चॉइस केन्द्र को लागू नहीं होगी जो उसके परिसर में स्थापित हो, तथा उसके कर्मचारी द्वारा प्रचालित हो; और ऐसे कर्मचारी, जो समय-समय पर प्रधान कार्यालय द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए जाएं, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए चॉइस एजेंट के रूप में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

### 7. चॉइस एजेंट की नियुक्ति

- (1) कलेक्टर इन नियमों के तहत अर्हता की शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन आमंत्रण सूचना द्वारा विहित प्रपत्र में चॉइस एजेंट के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा।
- (2) कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर चॉइस एजेंट को नियुक्त करेगा।
- (3) नियुक्ति करने में कलेक्टर आवेदकों की वित्तीय यथेष्टता, जिसमें किसी भी स्रोत से अपेक्षित वित्तीय संसाधनों को जुटाने का सामर्थ्य सम्मिलित है, और एक क्षेत्र में अधिसूचित नागरिक सेवाओं की कुल मिला कर जरूरत के निरपेक्ष और सापेक्ष आंकड़ों को विचार में लेगा।
- (4) कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंट, जिसे इन नियमों में अन्यत्र 'चॉइस एजेंट' कहा गया है, के रूप में नियुक्ति का आदेश देगा।
- (5) नियुक्त किया गया चॉइस एजेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में चॉइस केन्द्र का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंध निष्पादित करेगा।
- (6) नियुक्त किया गया चॉइस एजेंट साधारणतः उसके आवेदन में इंगित स्थान से चॉइस केन्द्र प्रचालित करेगा, तथा कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना चॉइस केन्द्र के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

### 8. कलेक्टर की शक्तियां

- (1) कलेक्टर सक्षम होगा कि किसी भी चॉइस केन्द्र का निरीक्षण करे अथवा कराए, और उनसे अभिलेख या जानकारी मंगाए; और, यदि उसे समाधान हो कि कोई अनियमितता की गई है, अथवा होना संभाव्य है, और अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के हित में चॉइस एजेंट को निर्देश जारी करने अथवा उसकी नियुक्ति निलंबित करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसे चॉइस एजेंट को निर्देश जारी करने अथवा ऐसे एजेंट की नियुक्ति निलंबित करने के लिए भी सक्षम होगा।

परंतु ऐसा कोई निर्देश अथवा नियुक्ति को निलंबित करने वाला आदेश कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं दिया जाएगा; और, ऐसे निर्देश अथवा निलंबन का आदेश सात दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(2) इस बात का समाधान होने पर कि चॉइस एजेंट ने अनुबंध की किसी शर्त के पालन में व्यतिक्रम किया है, अथवा इन नियमों के तहत अर्हता की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहा है, अथवा जारी किन्हा निर्देशा के पालन में असफल रहा है, कलेक्टर ऐसे चॉइस एजेंट की नियुक्ति समाप्त करने के लिए सक्षम होगा।

परंतु ऐसे एजेंट की नियुक्ति समाप्त करने का कोई आदेश उसे सनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

#### 9. चॉइस एजेंट का लोक सेवक होना

प्रत्येक चॉइस एजेंट भारतीय दण्ड संहिता (सन् 1860 का क्रमांक 45) की धारा 21 के अधिप्राय में एक लोक सेवक होगा।

#### 10. चॉइस एजेंट की देयताएं

(1) चॉइस एजेंट द्वारा किन्हीं अनुदेशों के क्रियान्वयन, इन नियमों में से किसी नियम के पालन या किन्हीं निर्देशों के अनुपालन की कोई असफलता, अथवा इन नियमों के अधीन विधिमाम्य बाध्यताओं के पालन में किसी व्यतिक्रम, चाहे स्वयं उसके द्वारा अथवा उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति उसके नियोजन में हो अथवा नहीं, से उद्भूत अथवा परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक निकाय अथवा कोई अन्य लोक सेवक भी आते हैं, को हुई किसी हानि या नुकसान की सभी देयता के विरुद्ध ऐसे चॉइस एजेंट द्वारा राज्य शासन, उसके किन्हीं भी प्राधिकारियों, और प्रधान कार्यालयों, को क्षतिपूर्ति किया हुआ समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अथवा समुचित प्राधिकारी के अनुदेशों के अधीन चॉइस एजेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा प्राप्त, सृजित अथवा अनुरक्षित सभी अभिलेखों का अनुरक्षण और उनका सुरक्षित अभिरक्षा ऐसे एजेंट का उत्तरदायित्व होगा; और, उसकी नियुक्ति के निलंबन अथवा समापन की दशा में, ऐसा एजेंट ऐसे सभी अभिलेखों को कलेक्टर के पास विहित रीति में जमा करेगा।

(3) चॉइस एजेंट उसके द्वारा एकत्रित विहित प्रभारों का लेखा रखने के लिए, और उसे देय सेवा प्रभारों को प्रतिधारित करने के बाद उन्हें विहित रीति में जमा कराने के लिए, उत्तरदायी होगा।

(4) समुचित प्राधिकारी अथवा किसी भी अधिसूचित नागरिक सेवा के किसी भी आवेदक को सेवा प्रदाय करते में किसी लापरवाही, रिष्टि अथवा अनुचित विलंब से उद्भूत, या नकली, कूटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेज या जानकारी स्वीकार करने अथवा प्रेषित करने के परिणामस्वरूप, किसी हानि, असुविधा, क्षति या देयता के लिए चॉइस एजेंट उत्तरदायी होगा।

#### 11. चॉइस एजेंट को दिए गए विहित प्रभारों के संबंध में उपधारणा

किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिसूचित नागरिक सेवा के संबंध में चॉइस एजेंट को दिए गए किन्हीं विहित प्रभारों, जिसके अंतर्गत सेवा प्रभार भी आता है, के मामले में विहित कम्प्यूटर संसाधन द्वारा प्रजनित इलेक्ट्रॉनिक अभिस्वीकृति की कागज पर छाप, जो ऐसे व्यक्ति को ऐसे एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित कर दी गई हो, प्रथमदृष्ट्या, ऐसे भुगतान का सबूत होगी, और यह उपधारणा की जायेगी वे देयक या दावे, जिनके लिये अभिस्वीकृति जारी होना तात्पर्यित थी, उस सीमा तक संतुष्ट हो चुके हैं; तथापि, केवल भुगतान अपने आप में ऐसा कोई अधिकार, स्वत्व, विलंब की माफी, परिसीमा-काल काल का विस्तारण, अथवा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में छूट सृजित नहीं करेगा, जिसके लिये वह अन्यथा हकदार न हो।

#### 12. चॉइस एजेंट के कृत्य

चॉइस एजेंट निम्नलिखित कृत्यों को करने के लिये सक्षम और उत्तरदायी होगा—

(क) अभिलेखित नागरिक सेवाओं का उपयोग करने के लिए आवेदन और साथ ही दी गई सेवाओं के लिये ऐसे आवेदक से कोई निहित प्रभार प्राप्त करना, और उसके द्वारा अभिलेखित जारी करना; और

(ख) विहित कम्प्यूटर संसाधन से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद कागज पर उनकी छाप ले कर और, आगे, ऐसी छाप पर ऐसे सत्यापन और कागज पर ली गई छाप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी का सही रूपण होने के प्रमाणसूचक हस्ताक्षर कर आवेदक, अथवा उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, को व्यक्तिगत, अथवा डाक या कोरियर के जरिए, उसका संदाय करना।

### 13. चॉइस एजेंट और समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

चॉइस एजेंट निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा—

(क) विहित प्रभारों, जिनमें सेवा प्रभार सम्मिलित है, के भुगतान पर चॉइस एजेंट विहित कम्प्यूटर संसाधन में किसी अधिलेखित नागरिक सेवा, जिसे ऐसा एजेंट उपलब्ध कराने के लिये प्राधिकृत है, का उपयोग करने को इच्छुक किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी (उसके आवेदन के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों सहित) को विहित रीति में प्रवेशित करेगा।

(ख) ऐसी प्रवेशित जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रूपित की जायेगी जिसमें आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सही होने और उसके आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक होने, तथा जानकारी झूठी पाए जाने अथवा दस्तावेज वास्तविक या सही नहीं पाए जाने की दशा में देयता से उसके द्वारा चॉइस एजेंट और समुचित प्राधिकारी को क्षतिपूरित करने की घोषणा सम्मिलित होगी।

(ग) ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संबंधित चॉइस एजेंट के मार्फत समुचित प्राधिकारी को संबोधित एक आवेदन की प्रकृति का होगा, और ऐसे एजेंट द्वारा कागज पर दो प्रतियों में छापा जायेगा जिसे वह आवेदक को उपलब्ध कराएगा।

(घ) आवेदक अपने आप को दस्तावेजों की सत्यता के बारे में संतुष्ट करने के बाद दोनों प्रतियों को अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशान से अधिप्रमाणित करेगा और एक प्रति को स्वयं रखेगा व अन्य प्रति चॉइस एजेंट को देगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और, यदि और जब कभी सक्षम प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी या कलेक्टर उसे उपलब्ध कराने की अपेक्षा करें, उसे उपलब्ध कराएगा।

(ङ) चॉइस एजेंट आवेदन के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों से युग्मित होगा, पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और उसे विहित रीति में विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित करेगा।

(च) आवेदन का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित होने पर ऐसे संसाधन द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखित प्रजनित की जाएगी जिसमें एक आवेदन संदर्भ अंक अन्तर्निहित होगा जिसकी सहायता से आवेदक उसके आवेदन के निर्णय के संबंध में अवस्था के बारे में पूछताछ कर सकेगा।

(छ) चॉइस एजेंट ऐसी अभिलेखित की कागज पर छाप लेगा और अभिलेखित में अन्तर्निहित जानकारी कागज पर ली गई छाप का सत्य रूपण होने प्रतीकरूपण विधि सहित हस्ताक्षर कर, उसे आवेदक को देगा।

(ज) समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदन के पूर्वोक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी की कागज पर छाप लिया जाना (एक) चॉइस एजेंट के डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करित

कराया जाए, और (दो) कागज पर छापी गई जानकारी में अतिरिक्त जानकारी की तुलना करवाते हुए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से जो जा कर अधिप्रमाणित होना कारित कराया जाए, कारित कराएगा।

- (झ) समुचित प्राधिकारी, ऐसे जाच या रिपोर्ट बुलाने आदि के बाद जैसी वह आवश्यक समझ, अपना विनिश्चय विहित रीति में विहित कम्प्यूटर संसाधन में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलिखित करेगा, जिसके बाद आवेदित सेवा के संबंध में समुचित दस्तावेज एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में विहित कम्प्यूटर संसाधन से प्रजनित होगा जिसे समुचित प्राधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करेगा, और विहित कम्प्यूटर संसाधन पर विहित रीति में अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संचित करेगा।
- (ञ) समुचित प्राधिकारी पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कागज पर छाप लेना कारित करेगा, उस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा, और उसे आवेदन से संबंधित अभिलेख में सम्मिलित होना कारित करेगा।
- (ट) आवेदन जमा करते समय प्रजनित अभिस्वीकृति साधारणतः वह तिथि इंगित करेगी जिस पर, या वह अवधि जिसके बाद, आवेदन पर विनिश्चय और पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज साधारणतः विहित कम्प्यूटर संसाधन पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में उपलब्ध होंगे।
- (ठ) आवेदन पर विनिश्चय होने के बाद आवेदक चॉइस एजेंट के पास जा सकेगा और ऐसा एजेंट समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रूप के पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज की विहित कम्प्यूटर संसाधन से विहित रीति में कागज पर छाप लेगा।
- (ड) खण्ड (ज) लगायत (ठ) में की कोई भी बात अधिसूचित नागरिक सेवाओं के उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी या दस्तावेज पहले से ही चॉइस एजेंट को समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो कर विहित कम्प्यूटर संसाधन पर उपलब्ध हो, और, ऐसे मामलों में, चॉइस एजेंट विहित कम्प्यूटर संसाधन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध वांछित जानकारी या दस्तावेज की विहित रीति में कागज पर छाप लेने को अग्रसर होगा।
- (ढ) खण्ड (ख) लगायत (ड) में की अथवा खण्ड (ज) लगायत (ठ) में की कोई भी बात अधिसूचित नागरिक सेवाओं के उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी या दस्तावेज पहले से ही चॉइस एजेंट को समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो कर विहित कम्प्यूटर संसाधन पर उपलब्ध हो, और, ऐसे मामलों में, चॉइस एजेंट विहित कम्प्यूटर संसाधन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध वांछित जानकारी या दस्तावेज की विहित रीति में कागज पर छाप लेने को अग्रसर होगा।
- (ण) पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होने का रात्यापन चॉइस एजेंट द्वारा किये जाने, और कागज पर छापी गई छाप वाला दस्तावेज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अतिरिक्त जानकारी का साथी रूपण होने, के प्रमाणीकरण के प्रतीकरूप चॉइस एजेंट ऐसी छाप वाले दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर तिथि सहित हस्ताक्षर करेगा, और ऐसे हस्ताक्षरित दस्तावेज को आवेदक को देगा।
- (त) सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य शासन विधि के अधीन प्रस्तुत करने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, विवरणियों, विवरणों, अभिलेखों, आदि को समुचित प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे, और उन्हें एक विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित करने की रीति, और समुचित प्राधिकारी द्वारा उन्हें अधिप्रमाणित करने की रीति, भी विहित कर सकेंगे।

(श) राज्य शासन, इन नियमों में इंगित प्रक्रिया के अतिरिक्त, किसी विशिष्ट अधिसूचित नागरिक सेवा, अथवा ऐसी सेवाओं की श्रेणी, के संबंध में प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

14. कलेक्टर के आदेशों, निर्देशों, आदि के विरुद्ध अपील

इन नियमों के अधीन कलेक्टर के किसी आदेश, निर्देश, आदि से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, निर्देश, आदि की जानकारी की तिथि से तीस दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित रीति में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

15. चॉइस एजेंट के वित्तीय दावों आदि के संबंध में विवाद

चॉइस एजेंट के वित्तीय दावों अथवा देयताओं के संबंध में किसी भी विवाद का फैसला करने, अथवा विहित प्रभारों में से सेवा प्रभारों के प्रभाजन के संबंध में प्रश्नों को तय करने, अथवा चॉइस केन्द्रों के संबंध में लेखाओं का परिनिर्धारण कारित करने के लिये सक्षम होगा।

16. प्रकीर्ण

कोई भी बात चॉइस एजेंट के किसी कार्य अथवा लोप द्वारा कारित किसी हानि अथवा क्षति के संबंध में किसी व्यथित व्यक्ति को ऐसे एजेंट से किसी अन्य विधि के तहत प्रतितोष या क्षतिपूर्ति चाहने से निवारित नहीं करेगी।

Raipur, the 19th August 2003

NOTIFICATION

No. 806/PS/SIT/2003/CHOICE.—In exercise of the powers conferred under section 90 read with section 6 of the Information Technology Act, 2000 (No. XXI of 2000), hereinafter referred to as 'the Act', the Government of Chhattisgarh hereby makes the following Rules to carry out Electronic Governance in respect of Notified Citizen Services, to provide for appointment, functions, regulation and liabilities of Authorised Citizen Services Agents, and to provide for matters incidental or related thereto.

1. Short title and commencement

(1) These Rules may be called the Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules, 2003.

(2) They will come into force from the 19<sup>th</sup> day of August, 2003.

2. Definitions

In these Rules, unless the context otherwise requires, —

(a) 'Appropriate Authority', with its grammatical variations and cognate expressions, in relation to any Notified Citizen Service, means authority charged with decision-making under any State law as respects any matter relating to that service;

(b) 'Authorised Citizen Services Agent', hereinafter called 'CHOICE Agent', means a person so appointed under these Rules;

(c) 'Authorised Citizen Services Centre', hereinafter called 'CHOICE Centre', means the

(2) No person shall be eligible for appointment as a CHOICE Agent if he does not bear a good moral character or has been convicted for any penal offence.

(3) Nothing contained in sub-rule (1) of this Rule, or in Rule 7 of these Rules, shall apply to a CHOICE Centre authorised to be established by a Principal Office in its premises and operated by employees of such an Office, and such employee(s) as may be duly authorised by the Principal Office from time to time would be deemed to have been appointed as CHOICE Agent(s) for purposes of these Rules.

#### **7. Appointment of CHOICE Agent**

(1) The Collector shall invite interested parties satisfying the conditions of eligibility under these Rules to submit application in the proforma prescribed in the notice inviting the applications for appointment as CHOICE Agent.

(2) The Collector shall appoint the CHOICE Agent on the basis of the recommendations made by a committee to be appointed by the Competent Authority.

(3) The Collector shall take into consideration the absolute and relative assessments of the applicants regarding financial adequacy, including ability to mobilise the required financial resources from any source, and the overall requirement for Notified Citizen Services in an area.

(4) The Collector shall make an order of appointment as Authorised Citizen Services Agent, elsewhere in these Rules referred to as 'CHOICE Agent', in the form prescribed by the Competent Authority.

(5) The appointed CHOICE Agent shall execute an agreement in the form prescribed by the Competent Authority before commencing the functioning of a CHOICE Centre.

(6) The appointed CHOICE Agent shall operate ordinarily from a CHOICE Centre indicated by him in his application, and no change of location of the CHOICE Centre shall be made except with the prior written permission of the Collector.

#### **8. Powers of the Collector**

(1) The Collector shall be competent to inspect or to cause to be inspected any CHOICE Centre, and to call for records or information therefrom; and to issue directions to the CHOICE Agent, or to suspend the appointment of such an Agent in case of being satisfied that any irregularity has been, or is likely to be, committed, and that it is necessary to issue such directions or to suspend such appointment in the interest of providing Citizen Services.

Provided that no such direction shall be given or order of suspension of appointment shall be made except for reasons to be recorded in writing and communicated to the Competent

Authority within seven days of such directions or orders of suspension.

(2) The Collector shall be competent to terminate the appointment of a CHOICE Agent on being satisfied that he has defaulted in the performance of any condition of the agreement or conditions of eligibility under these Rules, or has failed to comply with any directions issued.

Provided that no such orders terminating such Agent shall be made without giving him a reasonable opportunity of being heard.

#### 9. CHOICE Agent to be a public servant

Every CHOICE Agent shall be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (No. XLV of 1860).

#### 10. Liabilities of CHOICE Agent

(1) CHOICE Agent shall be deemed to have indemnified the State Government, any of its authorities, and the Principal Offices, against all liability for any loss or damage sustained by any person, including public bodies or any other public servant, arising out of, or consequential to, any failure on the part of such Agent to carry out any instruction(s), observance of any Rule(s), compliance with any direction(s), or any default in performance of legal obligations under these Rules, whether by him or by any person working at his behest, regardless of whether such person is in his employ or not.

(2) CHOICE Agent shall be responsible for maintenance and safe custody of all records received, created or maintained by him electronically, or otherwise, for purposes of these Rules or under the instructions of the Appropriate Authority; and, in the event of suspension or termination of his appointment, such Agent shall deposit all such records with the Collector in the prescribed manner.

(3) CHOICE Agent shall be responsible for maintaining accounts as well as for depositing in the prescribed manner the prescribed charges received by him after retaining service charges payable to him.

(4) CHOICE Agent shall be responsible for any loss, inconvenience, damage or liability arising out of any negligence, mischief or undue delay in providing service, accepting, or transmitting fake, forged or false documents or information to the Appropriate Authority or to any applicant for any Notified Citizen Service.

#### 11. Presumption with regard to prescribed charges paid to CHOICE Agent

In case of any prescribed charges, including service charge, paid by any person to a CHOICE Agent in respect of any Notified Citizen Service, the print-out on paper of the electronic acknowledgment generated by the prescribed computer resource and signed and provided to such person by the such Agent shall, *prima facie*, be proof of such

payment and it shall be presumed that the dues or claims, for which the acknowledgment is purportedly issued, have been satisfied to that extent; however, mere payment by itself shall not create any right, title, extension or condoning the delay or limitation, or relaxation in favour of such person to which he is not otherwise entitled.

## 12. Functions of CHOICE Agent

The CHOICE Agent shall be competent and responsible for the performance of the following functions:

- (a) receiving any application, or petition for availing Notified Citizen Services as well as any prescribed charges and payable dues from persons for services being provided to them and to issue acknowledgments for the same; and
- (b) delivery to the applicant, or his duly authorised representative, in person or through post or courier, of paper print-outs of electronic records from prescribed computer resource after verifying the digital signatures of the Appropriate Authority and, further, signing such paper print-outs in token of such verification and of the paper print-out representing correctly the information contained in such electronic record.

## 13. Procedure to be followed by the CHOICE Agent and the Appropriate Authority

The CHOICE Agent shall follow the following procedure:

- (a) On payment of prescribed charges, including service charge, the CHOICE Agent shall feed into the prescribed computer resource, and in the prescribed manner, the information provided by any person (including the electronic copies of any documents presented by the applicant in support of his application) seeking to avail of any Notified Citizen Service which such Agent is authorised to provide.
- (b) The information so fed shall be represented in the form of an electronic record which would include a declaration by the applicant as to the correctness of information provided and the genuineness of documents presented in support of his application and his indemnifying the CHOICE Agent and the Appropriate Authority from liability in the event of the information being found to be false or the document being found to be not genuine or correct.
- (c) Such electronic record shall be in the nature of an application addressed to the Appropriate Authority through the CHOICE Agent concerned, and shall be printed out on paper in two copies by such Agent, who shall provide the copies to the applicant.
- (d) The applicant, after satisfying himself as to the correctness of the documents, shall authenticate the same with his signature or thumb impression on both the copies and shall keep one copy for himself, while handing over the other copy to the CHOICE Agent who shall keep it in safe custody and shall provide the same if and when called upon by the Competent Authority, the Appropriate Authority or the Collector to do so.

- (e) The CHOICE Agent shall affix his digital signatures on the electronic record of the application, coupled with the electronic copies of the documents presented in support thereof, and shall store the same on the prescribed computer resource in the prescribed manner.
- (f) An electronic acknowledgment shall be generated by the prescribed computer resource containing an application reference number with the help of which the applicant may inquire about the status concerning the decision on his application.
- (g) The CHOICE Agent shall take a print-out on paper of such acknowledgment and shall give the same to the applicant after affixing his signature and the date in token of the paper print-out being a true representation of the information contained in the acknowledgment.
- (h) Appropriate Authority shall cause a print-out on paper of the information contained in such electronic record to be taken by (i) causing to verify the digital signature of the CHOICE Agent, and (ii) causing to compare and authenticate the information contained in the paper print-out with that in the verified electronic record.
- (i) The Appropriate Authority, after such inquiry or calling for report as it deems fit, shall record its decision electronically in the prescribed manner, whereupon the appropriate document in respect of the Citizen Service applied for shall be generated as an electronic record which the Appropriate Authority shall authenticate by affixing its digital signatures and shall store the authenticated electronic record in the prescribed manner.
- (j) The Appropriate Authority shall cause a print-out on paper of the electronic record of the aforesaid appropriate document to be taken and shall affix its signature(s) with date and cause it to be included in the record relating to the application.
- (k) The acknowledgment received at the time of submitting the application shall ordinarily indicate the date on which or the period after which the decision on the application and the aforesaid appropriate document would ordinarily be available as electronic record.
- (l) Upon decision on his application, the applicant may approach the CHOICE Agent who shall print on paper in the prescribed manner the aforesaid appropriate document in electronic form duly authenticated by the digital signatures of the Appropriate Authority.
- (m) Nothing in clauses (h) to (l) shall apply in cases of Notified Citizen Services where the information or document sought by the applicant is already available to the CHOICE Agent on the prescribed computer resource duly authenticated by the digital signatures of the Appropriate Authority, and, in such cases, the CHOICE Agent shall proceed to print on paper in the prescribed manner the desired information or document in electronic form.

- (n) Nothing in clauses (b) to (e) or in clauses (h) to (i) shall apply in cases of a Notified Citizen Service where no application is required from the applicant in respect of such a Service and, further, the information or document sought by the applicant is already available to the CHOICE Agent on the prescribed computer resource duly authenticated by the digital signatures of the Appropriate Authority, and, in such cases, the CHOICE Agent shall proceed to print on paper in the prescribed manner the desired information or document in electronic form.
- (o) The CHOICE Agent shall affix his signature with date on each page of the document so printed out, along with the date, in token of certifying to the effect that the document represents the print-out on paper of the information contained in the electronic record of the aforesaid appropriate document verified by him to have been authenticated by the digital signatures of the Appropriate Authority, and shall provide the same to the applicant.
- (p) The Competent Authority or the State Government may prescribe procedure to be followed by an Appropriate Authority for accepting any information, returns, statements, records etc. in electronic form from any person who is required under law to furnish the same, and may further prescribe the manner of retaining the same on a prescribed computer resource as well as the manner of authentication of the same by the Appropriate Authority.
- (q) The State Government may prescribe procedure, in addition to the procedure indicated in these Rules, in respect of any particular Notified Citizen Service, or class of such Services.

#### 14. Appeals against orders, decisions etc. of Collector

Any person(s) aggrieved by any order(s), direction(s) etc. of Collector under these rules may appeal before the Competent Authority within thirty days of the date of knowledge of such order, decision etc. in the prescribed manner.

#### 15. Disputes regarding financial claims etc. of the CHOICE Agent

Collector shall be competent to decide any disputes regarding financial claims or liabilities of the CHOICE Agent, or to settle questions regarding apportionment of service charges from out of prescribed charges, or to settle of accounts in respect of CHOICE Centres.

#### 16. Miscellaneous

Nothing shall prevent an aggrieved person from seeking redress or compensation under any other law from the CHOICE Agent as regards any loss, damage caused by any act of commission or omission of such Agent.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनिल कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2003

## अधिसूचना

क्रमांक 807/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सन् 2000 का क्र. इक्कीस) की धारा 90 सहपठित धारा 6 एवं क्रमांक 806/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस दिनांक 19 अगस्त, 2003 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्वोक्त नियमों के नियम 2 (क) के अधीन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी को एतद्वारा 'समुचित प्राधिकारी' नियुक्त किया जाता है ।

2. पूर्वोक्त नियमों द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग उनके द्वारा किया जायेगा ।
3. यह अधिसूचना दिनांक 19 अगस्त 2003 से प्रवर्तित होगी ।

Raipur, the 19th August 2003

## NOTIFICATION

No. 807/PS/SIT/2003/CHOICE.—In exercise of the powers conferred under section 90 read with section 6 of the Information Technology Act, 2000 (No. XXI of 2000) and Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules, 2003 issued vide Notification No. 806/PS/SIT/2003/CHOICE dated 19th August 2003, Secretary to Government, Information Technology, Chhattisgarh is hereby appointed as 'Competent Authority' under rule 2 (a) of the above rules.

2. All the powers and functions conferred under the aforementioned rules shall be exercised by him.
3. This Notification will come into force from 19th August 2003.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनिल कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2003

### अधिसूचना

क्रमांक 807/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सन् 2000 का क्र. इकीस) की धारा 90 सहपठित धारा 6 एवं क्रमांक 806/पीएस/एसआईटी/2003/चॉइस दिनांक 19 अगस्त, 2003 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पूर्वोक्त नियमों के नियम 2 (क) के अधीन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी को एतद्द्वारा 'समुचित प्राधिकारी' नियुक्त किया जाता है ।

2. पूर्वोक्त नियमों द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग उनके द्वारा किया जायेगा ।
3. यह अधिसूचना दिनांक 19 अगस्त 2003 से प्रवर्तित होगी ।

Raipur, the 19th August 2003

### NOTIFICATION

No. 807/PS/SIT/2003/CHOICE.—In exercise of the powers conferred under section 90 read with section 6 of the Information Technology Act, 2000 (No. XXI of 2000) and Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules, 2003 issued vide Notification No. 806/PS/SIT/2003/CHOICE dated 19th August 2003, Secretary to Government, Information Technology, Chhattisgarh is hereby appointed as 'Competent Authority' under rule 2 (a) of the above rules.

2. All the powers and functions conferred under the aforementioned rules shall be exercised by him.
3. This Notification will come into force from 19th August 2003.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनिल कुमार, सचिव.